उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-1/2022-।/134526/2022-10-3099/292/2020-3-
लखनऊ: दिनांक 21 जनवरी, 2022

विज्ञप्ति/सेवा निवृत्ति

सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2022 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर, अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो जायेंगे :-

क्र 0सं0	कोटि क्रमांक	अधिकारी का नामसर्वश्री/	पदनाम	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	1	अवनीन्द्र दीक्षित	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	12.04.1962	30.04.2022
2	4	कृष्णपाल	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	15.05.1962	31.05.2022
3	19	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	19.01.1962	31.01.2022
4	25	उमाशंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	30.06.1962	30.06.2022
5	27	विजय शंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	25.08.1962	31.08.2022
6	37	रामनिवास मिश्रा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	03.08.1962	31.08.2022
7	45	हरि नारायण मिश्रा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	08.12.1962	31.12.2022
8	57	सत्य प्रकाश द्विवेदी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	07.04.1962	30.04.2022
9	59	विश्वनाथ वर्मा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	25.09.1962	30.09.2022
10	697	अशोक कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15.01.1962	31.01.2022
11	728	सुरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	03.06.1962	30.06.2022

संजय कुमार
सचिव।

संख्या-आडिट-1-।/134526/दस-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित विभाग जहां अधिकारी कार्यरत हैं, द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज उ0प्र0, को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ, वे कृपया मुद्रित राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियां शासन को उपलब्ध करायेंगे।
8. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(समीर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।